# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21 / 2015 नामान्तरकरण अपील

1. श्रीमति सीमा देवी पत्नि भवानी शंकर पुत्री जगदीश जाति ब्राहमण निवासी तलावडा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
2. श्रीमति गीता देवी पत्नि अनिष कुमार पुत्री जगदीश जाति ब्राहमण निवासी बिलौना खुर्द तहसील लालसोट जिला दौसा
3. श्रीमति भारती देवी पत्नि जगमोहन पुत्री जगदीश जाति ब्राहमण निवासी झाडोदा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
4. श्रीमति मीना देवी पत्नि गोविन्द सहाय पुत्री जगदीश जाति ब्राहमण निवासी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
5. श्रीमति ममता देवी पत्नि धर्मेन्द्र पुत्री जगदीश जाति ब्राहमण निवासी हीरापुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. जयन्ती लाल पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी खानपुर तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. धर्मेन्द्र उर्फ राजकमल पुत्र जगदीश जाति ब्राहमण निवासी खानपुर तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. मु0 पार्वती देवी पत्नि जगदीश जाति ब्राहमण निवासी खानपुर तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा।
5. उप पंजीयक लालसोट।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 183 ग्राम खेडला खुर्द
तस्दीकी दिनांक 10.06.1992 तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

उपस्थिति : श्री दीनदयाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रकरण संख्या : 21/2015 नामान्तरकरण अपील

–: निर्णय :–

दिनांकः 20.02.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 307 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 132 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा वाकै खेडला खुर्द तहसील लालसोट जिला दौसा के रिकार्डेड काबिज खातेदार, काश्तकार जगदीश पुत्र बिहारीलाल ( फौत ) था एवं उक्त जगदीश पुत्र बिहारीलाल की मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का एवं तहसीलदार लालसोट द्वारा वास्तविक वारिसान की जांच किये बगैर तथा अपीलान्ट्स को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 183 दिनांक 10.06.1992 रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगा. 03 के नाम सरासर गलत तौर पर तस्दीक फरमाया है। जो कि अपीलान्ट्स के विधिक अधीकारो का सरासर हनन है। क्योकि अपीलान्ट्स जगदीश पुत्र बिहारीलाल की जाईन्दा पुत्रीयां है। उक्त नामान्तरकरण सं. 183 दिनांक 10.06.1992 ग्राम खेडला खुर्द तहसील लालसोट जिला दौसा को निरस्त करवाने हेतु यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट्स पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 183 दिनांक 10.06.1992 ग्राम खेडला खुर्द तहसील लालसोट जिला दौसा विधि तथ्यों एवं प्रक्रिया के विपरीत होने की वजह से निरस्त योग्य है। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक फरमाने से पूर्व तहसील लालसोट द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट्स को नुकसान पहुचाने की नियत से रेस्पोडेन्ट्स सं. 01 लगा. 03 ने पटवारी हल्का से मिलकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को भरवाकर अपीलान्ट्स को बिना सूचना दिये तथा आराजी कृषि भूमि के मौके पर कब्जा आदि की जांच किये बगैर तथा मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण सं. 183 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक कर दिया गया है। जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 183 दिनांक 10.06.1992 ग्राम खेडला खुर्द तहसील लालसोट जिला दौसा निरस्त फरमाया जावे।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रश्नगत नामान्तरकरण सं. 183 दिनांक 10.06.1992 को तस्दीक किया गया है। जिसके विरूद्ध अपील लगभग 22 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा मृतक खातेदार जगदीश पुत्र बिहारीलाल के वारिस होने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का सजरा भी पेश नही किया गया है। अतः अपील अपीलाट्स खारिज फरमायी जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा मृतक खातेदार के वारिस होने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत का सजरा पेश नही किया गया है एवं नामान्तरकरण तस्दीक होने के 22 वर्ष पश्चात प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त करने हेतु अपील पेश की गई है। अतः अपील स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण सं. 183 दिनांक 10.06.1992 ग्राम खेडला खुर्द तहसील लालसोट जिला दौसा के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा